कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा (म.प्र.)

//निविदा आमंत्रण//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय आगर–मालवा में वाहन स्टेंड का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति नवीन जिला न्यायालय भवन आगर–मालवा में वाहन स्टेंड का संचालन करना चाहता है, वह निविदायें **www.mptenders.gov.in** के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा के नाम से दिनांक 30.07.2025 को शाम 5:00 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है।

निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाईट **www.mphc.gov.in/tenders** एवं जिला न्यायालय आगर–मालवा की आधिकारिक वेबसाईट **agar.dcourts.gov.in/notice-category/tenders** पर देखी जा सकती है।

04/7/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर–मालवा (म.प्र.)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय आगर–मालवा में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक .... से दिनांक ....(एक वर्ष) तक की अवधि के लिए वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदायें **www.mptenders.gov.in** के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा के नाम से दिनांक 30.07.2025 को शाम 5:00 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम में ही प्राप्त की जाएंगी। उक्त निविदा दिनांक 31.07.2025 को शाम 5:00 बजे जिला न्यायालय में गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी।

2. निविदा में नियत दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

4. वित्तीय एवं तकनीकी बिड **www.mptenders.gov.in** के माध्यम से पृथक–पृथक प्रस्तुत की जाएंगी।

5. निविदा खोले जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिस निविदाकर्ता के द्वारा ई.एम.डी. की राशि एवं तकनीकी बिड से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाएंगे उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय बिड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

6. जिला न्यायालय आगर–मालवा में स्थित पार्किंग नंबर 1 जिसका क्षेत्रफल 1872 वर्गफीट, पार्किंग नंबर 2 जिसका क्षेत्रफल 3559 वर्गफीट, पार्किंग नंबर 3 जिसका क्षेत्रफल 3559 वर्गफीट है, के संबंध में यह निविदा जारी की जा रही है। उपरोक्त तीनों पार्किंगों का न्यूनतम मासिक शुल्क क्रमशः 11,130/–, 18,105/–, 18,105/– रूपये निर्धारित किया गया है।

7. जिस निविदाकर्ता के द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क अन्य निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जाएगा और जिसकी समस्त शर्तें स्वीकार होंगी उसकी निविदा पर सर्वप्रथम पर विचार किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता के द्वारा अनुबंध के समय एक माह का शुल्क डी.डी./चेक के माध्यम से एकमुश्त जमा किया जाएगा।

8. निविदा फार्म/आवेदन के साथ निविदाकर्ता को सुरक्षा निधि के रूप में 25,000/–पच्चीस हजार रूपये की ई.एम.डी. राशि जमा करनी होगी।

9. निविदा स्वीकृति के उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेंडर प्रक्रिया का खर्च व क्षतिपूर्ति के रूप में राशि वसूली की जाएगी।

10. वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिए दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

11. वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।

12. वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस समय में एवं समय–समय पर प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश आगर–मालवा के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

13. वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान आवंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/वाहन स्टेण्ड में भौतिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

14. वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय संचालन के लिये आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा को प्रस्तावित अस्थाई निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, किन्तु उक्त प्रस्ताव शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न होगा।

15. वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

16. वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को अनुबंधकर्ता किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकते। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखवाने की जवाबदेही अनुबंधकर्ता की ही होगी ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

17. **सामान्य जनता के लिये वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार प्रतिदिन होगा**

01–	**साइकिल**	**–**	**रू. 5/– प्रतिदिन**
02–	**दो पहिया वाहन**	**–**	**रू. 10/– प्रतिदिन**
03–	**तीन पहिया वाहन**	**–**	**रू. 20/– प्रतिदिन**
04–	**चार पहिया वाहन**	**–**	**रू. 25/– प्रतिदिन**

नोट– अधिवक्तागण, उनके मान्यता प्राप्त लिपिकों एवं न्यायिक कर्मचारीगण के लिये निःशुल्क वाहन पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है, तथापि **यदि वे** पेड पार्किंग में **अपना वाहन खडा करना चाहें** तो अनुबंधकर्ता (वाहन पार्किंग ठेकेदार) निम्न दरों पर उन्हें मासिक पास प्रदान करेगा–

01–	**साइकिल**	**–**	**50/–रूपये**
02–	**दो पहिया वाहन**	**–**	**100/–रूपये**
03–	**चार पहिया वाहन**	**–**	**250/–रूपये**

18. वाहन स्टैण्ड संचालक को वाहन पार्किंग करने पर उन्हें टोकन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। वाहन के चोरी चले जाने या क्षतिग्रस्त होने पर अनुबंधकर्ता उत्तरदायी होगा।

19. पार्किंग शुल्क सूची कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावे एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जाए।

20. अनुबंधित संस्था वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा जो आपराधिक पृष्ठभूमि में संलिप्त न रहे हो। नियुक्त व्यक्तियों की सूची जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट आगर–मालवा से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पश्चात ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को अनुबंधित संस्था उन्हें पहचान–पत्र जारी करेगा जो न्यायालय समय के दौरान संबंधित को धारण करना अनिवार्य होगा।

21. वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुबंध अवधि समाप्त होने की दशा में, वाहन स्टेण्ड संचालन की अवधि में वृद्धि/अनुमति देने का क्षेत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर–मालवा का होगा।

22. निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा अनुबंध की अवधि संशोधित या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।

23. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 353 आगर–मालवा दिनांक 08.08.2014 रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस के अनुच्छेद तीन के नियम (ङ) सेवा या किराये का करार राशि रूपये

500/– का अनुबंध–पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पर तीन दिवस के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करने बाबत् निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

24. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण जिला न्यायालय आगर–मालवा में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति/अपील प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

25. स्टैण्ड संचालन हेतु किया गया अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताए एवं बिना नोटिस दिये निरस्त करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा के पास सुरक्षित होगा। निरस्त किये गये अनुबंध की दशा में वाहन स्टैण्ड का संचालन अविलंब बंद करना होगा। वाहन स्टेण्ड का संचालन बंद नहीं करने की दशा में वाहन स्टैण्ड के स्थान को रिक्त कराने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा के पास सुरक्षित रहेंगा और इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

26. न्यायालय शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश में बंद रहने की दशा में किसी भी प्रकार से किराये की दर में रियायत/छूट नहीं दी जाएगी।

27. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में निर्धारित स्थान पर ही वाहन स्टेंड का संचालन करेगा।

28. निविदाकर्ता अथवा उसके नियोजित कर्मचारियों द्वारा परिसर में आने–वाले न्यायाधीश, कर्मचारी, अभिभाषक, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पक्षकारों, ग्राहक से किसी भी भॉति दुर्व्यवहार व हिंसा करते पाए जाने पर अर्नेस्ट मनी एवं परफार्मेंस गारण्टी की राशि जप्त कर ली जावेगी।

04/7/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर–मालवा (म.प्र.)